Jharkhand Renewable Energy Development Agency
(State Govt. Agency Under Department of Energy, Jharkhand)

पत्रांक 1685/2022 रॉंची, दिनांक, 10/08/2022

सेवा में,

M/s Punam Energy Pvt. Ltd.,
1A, D.L. Khan Road,
Jaju Bhawan, Kolkata-700027

विषयः कार्यादेश संख्याः 72/2027–18 दिनांक 12.08.2017 के तहत् विभिन्न क्षमता के अधिष्ठापित किये गये कुल 170 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का संचालन एवं वार्षिक रख–रखाव (सी0एम0सी0) कार्य नियमित एवं सही ढंग से नहीं करने एवं कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निर्गत कार्यादेश को रद्द करने, समर्पित Performance guarantee की राशि को जब्त करने एवं संवेदक को काली सूची में डालने के संबंध में।

प्रसंगः
1. निविदा संख्याः 33/JREDA/Rooftop/GOV/16-17
2. कार्यादेश संख्याः 72/2027–18 दिनांक 12.08.2017
3. एकरारनामा संख्याः 37/JREDA/ROOFTOP/GOV/17-18 दिनांक 07.09.2017
5. ज्रेडा पत्रांक 97/2019 दिनांक 19.01.2019
6. ज्रेडा पत्रांक 1023/2019 दिनांक 08.07.2019
7. ज्रेडा पत्रांक 732/2021 दिनांक 21.05.2021
8. ज्रेडा पत्रांक 993/2021 दिनांक 25.06.2021
9. ज्रेडा पत्रांक 1898/2021 दिनांक 21.10.2021
10. ज्रेडा पत्रांक 359/2022 दिनांक 25.02.2022
11. ज्रेडा पत्रांक 1084/2022 दिनांक 30.05.2022
12. ज्रेडा पत्रांक 1556/2022 दिनांक 28.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि निविदा संख्याः 33/JREDA/Rooftop/GOV/ 16-17 के अन्तर्गत कार्यादेश संख्याः 72/2027–18 दिनांक 12.08.2017 के माध्यम से राज्य के 02 सरकारी भवनों में कुल 170 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं 05 वर्षों की वार्षिक रख–रखाव (सी0एम0सी0) कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था।

प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से आपको को सिविल कोर्ट, कोडरमा एवं सदर अस्पताल, गिरिडीह में अधिष्ठापित विभिन्न क्षमता के सोलर पावर प्लांट में आये त्रुटियों का निराकरण करते हुए साक्ष्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया, लेकिन आपके द्वारा अभीतक किसी भी प्लांट में त्रुटि के निराकरण से संबंधित कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया, जो कार्यादेश की कंडिका–12.0 (d) एवं कार्यादेश की कंडिका–17.0 का घोर उल्लंघन है।

ज्रेडा पत्रांक 1084/2022 दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से वार्षिक रख–रखाव (सी0एम0सी0) कार्य नियमित एवं सही ढंग से नहीं किये जाने के कारण कार्यादेश की कंडिका–12.0 (d), कंडिका–17.0 एवं एकरारनामा में निहित प्रावधान के आलोक में कार्यादेश संख्याः 72/2027–18 दिनांक 12.08.2017 के तहत् Performance guarantee के रूप में समर्पित कुल राशि से Penalty के रूप में रु0 75,000/– (पचहत्तर हजार) जब्त (Forfeit) किया गया था एवं निदेश दिया गया था कि अगले 30 दिनों अन्दर सभी त्रुटियों का निराकरण नहीं किया जाता है तो कार्यादेश एवं एकरारनामा में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यादेश को रद्द करते हुए काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपके द्वारा

अभीतक सिविल कोर्ट, कोडरमा एवं सदर अस्पताल, गिरिडीह में अधिष्ठापित विभिन्न क्षमता के सोलर पावर प्लांट में आये त्रुटियों का निराकरण करते प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है।

पुनः जिला सत्र न्यायाधीश, कोडरमा द्वारा सिविल कोर्ट भवन में अधिष्ठापित सोलर पावर प्लांट में Breakdown होने की सूचना आपको एवं जेडा को दिनांक 28.06.2022 को दिया गया था। ज्ञात हो कि उक्त सोलर पावर प्लांट दिनांक 28.06.2022 से बंद है एवं आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष आश्वासन दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर उक्त सोलर प्लांट में आये त्रुटियों का निराकरण कर दिया जाएगा।

पुनः जेडा पत्रांक 1556/2022 दिनांक 28.07.2022 के माध्यम से 03 दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण जेडा कार्यालय में समर्पित करने का निर्देश दिया गया था कि क्यों नहीं वार्षिक रख–रखाव (सी0एम0सी0) कार्य नियमित एवं सही ढंग से नहीं किये जाने के कारण कार्यादेश की कंडिका–12.0 (d), कंडिका–17.0 एवं एकरारनामा में निहित प्रावधान के आलोक में कार्यादेश संख्याः 72/2027–18 दिनांक 12.08.2017 के तहत् Performance guarantee के रूप में समर्पित बैंक गारंटी को जब्त (Forfeit) जब्त करते हुए एजेन्सी को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाय, लेकिन आपके द्वारा अमतीक स्पष्टीकरण जेडा कार्यालय में जमा नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यादेश संख्याः 72/2027–18 दिनांक 12.08.2017 के तहत् विभिन्न क्षमता के आपूर्ति एवं अधिष्ठापित किये गये कुल 170 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का संचालन एवं वार्षिक रख–रखाव (सी0एम0सी0) कार्य नियमित एवं सही ढंग से नहीं करने एवं कार्य में लापरवाही बरतने के कारण **M/s Punam Energy Pvt. Ltd., Kolkata** को निर्गत कार्यादेश संख्याः 72/2027–18 दिनांक 12.08.2017 को रद्द किया जाता है। साथ ही उक्त कार्यादेश के तहत् समर्पित Performance guarantee की राशि को जब्त करते हुए **M/s Punam Energy Pvt. Ltd., Kolkata** को काली सूची डाली जाती है तथा आगामी 03 (तीन) वर्षों तक जेडा द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
निदेशक

ज्ञापांक 1685/2022 **राँची, दिनांक** 10/08/2022

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची/सभी स्टेट नोडल एजेंसी/जेडा के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. लेखा शाखा, जेडा को सूचनार्थ प्रेषित एवं निर्देश है कि संवेदक द्वारा निविदा संख्याः 33/JREDA/Rooftop/GOV/16-17 एवं जेडा कार्यादेश संख्या 72/2027–18 दिनांक 12.08.2017 के तहत बैंक गारंटी के माध्यम से समर्पित Performance guarantee की राशि को अविलम्ब जब्त किया जाय।
3. स्थापना शाखा, जेडा को सूचनार्थ एवं निर्देश है कि इस आदेश की प्रति को जेडा वेव पोर्टल एवं अन्य सभी स्टेट नोडल एजेंसी को भेजने की कार्रवाई की जाय।

निदेशक